

रीति वनाम पत्र 'मु. न. 95/22

दिनांक

आज्ञा पत्र

21.3.25

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को
बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल
(बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया
उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हजरी
एवं अदम फरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास
पुनावा गया। प्रकरण फैसल सुचारु होकर नमर से कम होकर
बाद तर्तीव तकमीत दाखिल दफ्तर हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सांकर

